प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	प्रार्थीगण
2. श्री जगराज सिंह भारी	अप्रार्थी सं. 1 ता 4
3. राज पैरोकार	अप्रार्थी सं. 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24/1/26

प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 251–क के तहत प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 28/11 के प.नं. 42/343 (44) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्. कमांड अनकमांड खातेदारी व चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 19/33 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 5/32 हिस्सा 6, 11 ता 25 की 4.048 हैक्. कमांड अनकमांड भूमि मे प्रार्थीगण का 5/32 दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी व नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 22/13 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 1/2, 7 ता 10 की 1.138 हैक्. कमांड खातेदारी व अप्रार्थी सं. 2 के नाम चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 30/25 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 1/1 ता 5 की 1.139 हैक. व अप्रार्थी सं.3, 4 के नाम इसी चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 19/33 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 6, 11 ता 25 की 4.048 हैक्. में अप्रार्थी सं. 3 का 5/16 हिस्सा व अप्रार्थी सं.4 का 3/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी व नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण ने अपनी भूमि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में चक 4 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 28/11 के प.नं. 42/343 (44) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्. के किला नं. 21 मे लगे टयुबवैल से सिचाई हेतू पाईप लाईन इसी प.नं. 42/343 के किला नं. 5 से होते हुए प.नं. 43/342 किला नं. 21 ता 25 में बने रास्ता से होते हुए प.नं. 44/342 के किला नं. 21, 22,

23 में होते हुए प.नं. 44/343 के किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 तक पाईप लाईन डालकर सिचांई कर रहा है। मौका पर प्रार्थीगण अपनी भूमि में पाईप लाईन से अपनी भूमि में सिचांई कर रहे है। उक्त पाईप लाईन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही करवाई हुई है। जिसे अब प्रार्थीगण अब स्वीकृत करवाना चाहते है। अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि अप्रार्थी चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 22/13 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 8, अप्रार्थी सं. 2 के नाम इसी चक के खाता सं. 30/25 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 3, सं.3, 4 व प्रार्थीगण की भूमि इसी चक के खाता सं. 19/33 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 13, 18, 23 में पाईप लाईन स्वीकृत करवाना चाहते है।

यह कि अप्रार्थी सं. 5 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 22/13 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 8, अप्रार्थी सं.2 के नाम इसी चक के खाता सं. 30/25 के प. नं. 44/343 (35) किला नं. 3, अप्रार्थी सं.3, 4 व प्रार्थीगण की भूमि इसी चक के खाता सं. 19/33 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 13, 18, 23 में पाईप लाईन स्वीकृत (इस प्रकार प.नं. 44/343 के किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 में बिछी हुई पाईप लाईन) कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रकरण में प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है जिसपर एक पक्षिय बहस सुनी जाकर पाईप लाईन बाबत मौका की यथास्थिति बनाये रखने का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी द्वारा हाजिर होकर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है। जावब अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 निम्नप्रकार से है–

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पंजीकृत पता से सम्बर्धित है जो जबाब की मोहताज नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन कतई असत्य, मनगढत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 6, 11 ता 25 की 4.048 हैक. में से अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि किला नं. 21 ता 25 के मध्य किला नं. 23 के मध्य में पाईप लाईन का अन्तिम बिन्दू है। जिसे प्रार्थीगण पाईन लाईन स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है क्योंकि पाईन लाईन किलो के बीच में स्वीकृत होती है तो मिन अप्रार्थीगण को कृषि कार्य व डिग्गी निर्माण करने में काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा चाही गई पाईप लाईन पत्थर लाईन पर स्वीकृत की जाती है तो मिन अप्रार्थीगण को कोई आपति व एतराज नही होगा। मिन अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि के किलो के बीच से पाईप लाईन स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिज के है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट पत्रांक 534 दिनाक 18.06.25 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाही गई पाईप लाईन मोके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाही गई पाईन लाईन की मंजूरी के रास्ते में आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही गई पाईप लाईन की मंजूरी के रास्ते में पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा पाईप लाईन नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाही गई पाईप लाईन की मंजूरी के अलावा सिंचाई हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाही गई पाईन लाईन की मंजूरी के रास्ते में कोई निर्माण व बाग नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं.

3

22/13 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 8, अप्रार्थी सं.2 के नाम इसी चक के खाता सं. 30/25 के प. नं. 44/343 (35) किला नं. 3, अप्रार्थी सं.3, 4 व प्रार्थीगण की भूमि इसी चक के खाता सं. 19/33 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 13, 18, 23 में पाईप लाईन स्वीकृत (इस प्रकार प.नं. 44/343 के किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 में बिछी हुई पाईप लाईन) को स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 6, 11 ता 25 की 4.048 हैक. में से अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि किला नं. 21 ता 25 के मध्य किला नं. 23 के मध्य में पाईप लाईन का अन्तिम बिन्दू है। जिसे प्रार्थीगण पाईन लाईन स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है क्योंकि पाईन लाईन किलो के बीच में स्वीकृत होती है तो मिन अप्रार्थीगण को कृषि कार्य व डिग्गी निर्माण करने में काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा चाही गई पाईप लाईन पत्थर लाईन पर स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया चुंकि प्रार्थी द्वारा सिचाई सुविधा के लिए पाईप लाईन लगाई गई है जो कि वर्तमान में मौका पर चालू है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पाईप लाईन की मंजूरी के अलावा सिंचाई हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाही गई पाईन लाईन की मंजूरी के रास्ते में कोई निर्माण व बाग नहीं है। चुंकि प्रार्थी को सिचांई सुविधा का अन्य विकल्प नहीं है इस लिए सुविधा का संतुलन एवं अत्यांतिक श्रेणी का मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि–

चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के खाता सं. 22/13 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 8, अप्रार्थी सं. 2 के नाम इसी चक के खाता सं. 30/25 के प. नं. 44/343 (35) किला नं. 3, अप्रार्थी सं.3, 4 व प्रार्थीगण की भूमि इसी चक के खाता सं. 19/33 के प.नं. 44/343 (35) किला नं. 13, 18, 23 में पाईप लाईन स्वीकृत (इस प्रकार प.नं. 44/343 के किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 में बिछी हुई पाईप लाईन) को स्वीकृत करने के आदेश पारित किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 24/4/16 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा